एफ सं0 38/37/08 – पी एंड पी डब्ल्यू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांक – 28 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय :– **वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन के संशोधन के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण मे, समय–समय पर यथा संशोधित, सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0 38/37/2008–पी एडं पी डव्ल्यू (ए) दिनांक 1/09/2008 के अनुसार पेंशन भोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए आदेश जारी किए गए थे।

2. यह निर्णय किया गया है कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन, जो समय–समय पर यथासंशोधित उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.09.2008 के पैरा 4.1 अथवा पैरा 4.2 की शर्तो में दिनांक 01.01.2006 से संशोधित की गयी थी, को संशोधन पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत हुआ था के तदनुरूपी पे बैंड और ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन के योग के 50% तक और बढ़ाया जाएगा जैसा कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/1/2008–आईसी दिनांक 30 अगस्त, 2008 के साथ संलग्न फिटमेंट सारणियों के संदर्भ से देखा जा सकता है। एच ए जी और उच्च वेतनमानों के मामले में, यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ऊपर–संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.08.2008 से संलग्न फिटमेंट सारणियों के संदर्भ में दिये गए संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50% होगा।

3. ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.09.2008 के पैरा 4.1 अथवा पैरा 4.2 की शर्तो में दिनांक 01.01.2006 से यथा संशोधित वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के संबंध में सामान्य परिवार पेंशन को भी संशोधन पूर्व वेतनमान में, जिसमे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत हुआ था, के तदनुरूपी पे बैंड और ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन के योग के 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, जैसा कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/1/2008–आईसी दिनांक 30 अगस्त, 2008 से संलग्न फिटमेंट सारणियों के संदर्भ मे दिया गया है। एच ए जी और उच्च वेतनमानों के मामले में, यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30.08.2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन से संलग्न फिटमेंट सारणियों के संदर्भ में दिए गए संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 30 प्रतिशत होगा।

4. सशोधित पेंशन/परिवार पेंशन की अदायगी को सुगम बनाने के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के तहत देय पेंशन/परिवार पेंशन (साधारण दरों पर) को दर्शाने वाली 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व और 2006 से बाद के वेतनमानों/पे बैंड की एक संशोधित सुसंगत सारणी संलग्न है।

5. ऊपर पैरा 2 के अनुसरण में और अनुबंध के कॉलम 9 में दर्शाए गए अनुसार इस प्रकार निर्धारित की गई पेंशन को यथानुपात घटाया जाएगा, जहां पेंशनभोगी की सेवा दिनांक 01.01.2006 से पहले यथा प्रयोज्य सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49 के अनुसार पूरी पेंशन पाने के लिए अनिवार्य अधिकतम सेवा से कम थी और किसी भी स्थिति में यह 3500 रू0 प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

6. पैरा 4.1 अथवा इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/3/2011–पी एंड पी डब्ल्यू (ई) दिनांक 25.05.2012 की शर्तो में दिनांक 01.01.2006 से संशोधित 2006 से पुर्व के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की बढ़ी हुई दरों (सी सी एस, (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उपनियम (3)(क) के तहत) को निम्नलिखित तरीके से और बढाया जाएगा –

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिन की दिनांक 01.01.2006 से पहले सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी और जिन के संबंध में बढ़ी हुई परिवार पेंशन सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख अर्थात् 24.09.2012 से लागू होती है बढ़ी हुई परिवार पेंशन उस संशोधन पुर्व वेतनमान जिस में उस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, के तदनुरूप पे बैड़ और ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन के योग 50 प्रतिशत तक बढाई जाएगी, जैसा कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/1/2008–आई सी दिनांक 30 अगस्त, 2008 से संलग्न फिटमेंट सारणियों के संदर्भ में दिया गया है। एच ए जी और उच्च वेतनमानों के मामले में, यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के उक्त संदर्भित का0 ज्ञा0, दिनांक 30.08.2008 से संलग्न फिटमेंट सारणियों में संदर्भित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा।

(ख) किसी पेंशनभोगी के मामले में, जो दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत हुए थे और जिन के संबंध में बढ़ी हुई परिवार पेंशन सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख अर्थात 24.09.2012 से लागू होती है, बढ़ी हुई परिवार पेंशन को ऊपर पैरा 5 के साथ पठित पैरा 2 की शर्तो में यथा संशोधित पेंशन की राशि तक बढ़ाया जाएगा। यदि पेंशनभोगी कर्मचारी की सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख अर्थात् 24.09.2012 से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन को ऊपर पैरा 5 के साथ पठित पैरा 2 की शर्तो में सांकेतिक रूप से संशोधित किया जाएगा। तथापि, संशोधित बढ़ी हुई परिवार पेंशन की राशि साधरण दरों पर परिवार पेंशन की राशि से कम नहीं होगी जैसाकि ऊपर पैरा 3 की शर्तों में संशोधित किया गया है।

7. यदि, कार्यालय ज्ञापन सं0 38/37/08–पी एंड पी डव्ल्यू (ए) दिनांक 01.09.2008 के पैरा 4.1 के अनुसार संगणित पेंशन, समेकित पेंशन/परिवार पेंशन/बढ़ी हुई परिवार पेंशन ऊपर बताए गए तरीके से संगणित पेंशन/परिवार पेंशन की तुलना में अधिक है तो उसे (उच्च समेकित पेंशन/परिवार पेंशन) मूल पेंशन/परिवार पेंशन के रूप में माना जाता रहेगा।

8. समय समय पर यथा संशोधित का0 ज्ञा0 सं0 38/37/08–पी एंड पी डव्ल्यू (ए) दिनांक 01.09.2008 में दिए गए अनुसार, सभी अन्य शर्ते अपरिवर्तित बनी रहेगी।

9. ये आदेश सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख अर्थात् 24.09.2012 से प्रभावी होंगे। दिनांक 01.01.2006 और 23.09.2012 की अवधि के दौरान अदा की गई संशोधित

पेंशन/परिवार पेंशन की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए उस अवधि के लिए इन आदेशों के कारण कोई बकाया राशि अदायगी योग्य नहीं होगी।

10. भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से संबधित व्यक्तियों को लिखे अपने आवेदन में, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते है।

11. सभी मंत्रालयों/विभागों से इन आदेशों की विषय वस्तु को उच्च प्राथमिकता आधार पर उन के अधीन लेखा नियंत्रको/वेतन और लेखा अधिकारियों और संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को नोटिस में लाने का अनुरोध किया जाता है। सभी पेंशन संवितरण कार्यालयों को भी पेंशनभोगियों के लाभ के लिए उन के नोटिस बोर्ड पर इन आदेशों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने की सलाह दी जाती है।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक
टेली0 24624802

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
डाक सूची के अनुसार।

समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' में वर्तमान वेतनमानो को धारण करने वाले पदों के लिए वर्ष 2006 से पुर्व के पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन–परिवार पेंशन (कार्यालय ज्ञापन सं0 38/37/08–पी एंड पी डब्ल्यू (ए) दिनांक 28.01.2013 से संबंधित अनुबंध)

क्रम. सं0	दिनांक 01.01. 1986 से वेतनमान	दि0 01. 01.1996 से पद/ग्रेड और वेतनमान ग्रेड	दि0 01.01. 1996 से पद/ग्रेड और वेतनमान ग्रेड वेतन	पे बैंड/वेतन मान का नाम	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पे बैंड/वेतनभोगी के तदनुरूपी	तदनुरूपी ग्रेड पे	फिटमेंट सारणी के अनुसार पे बैंड और ग्रेड पे / वेतनमान में न्यूनतम वेतन का योग	फिटमेंट सारणी के अनुसार पेंशन – पे बैड़ और ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन/वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत का योग	फिटमेंट सारणी के अनुसार परिवार पेंशन – पे बैंड और ग्रेड में न्यूनतम वेतन वेतनमान में नयूनतम वेतन के 30 प्रतिशत का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750-12-870-14-940	S-1	2550-55-2660-60-3200	-1S	4440-7440	1300	6050	3500	3500
2	775-12-871-12-1025	S-2	2610-60-3150-65-3540	-1S	4440-7440	1400	6260	3500	3500
3	775-12-871-14-955-15-1030-20-1150	S-2A	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1S	4440-7440	1600	6460	3500	3500
4	800-15-1010-20-1150	S-3	2650-65-3300-70-4000	-1S	4440-7440	1650	6580	3500	3500
5	825-15-900-20-1200	S-4	2750-70-3800-75-4400	PB-1	5200-20200	1800	7330	3665	3500
6	950-20-1150-25-1400 950-20-1150-25-1500 1150-25-1500	S-5	3050-75-3950-80-4590	PB-1	5200-20200	1900	7780	3890	3500
7	975-25-1150-30-1540 975-	S-6	3200-85-4900	PB-1	5200-20200	2000	8060	4030	3500

	25-1150-30-1660								
8	1200-30-1440-30-1800 1200-30-1560-40-2040 1320-30-1560-40-2040	S-7	4000-100-6000	PB-1	5200-20200	2400	9840	4920	3500
9	1350-30-1440-40-1800-50-2200 1400-40-1800-50-2300	S-8	4500-125-7000	PB-1	5200-20200	2800	11170	5585	3500
10	1400-40-1600-50-2300-60-2600 1600-50-2300-60-2660	S-9	5000-150-8000	PB-2	9300-34800	4200	13500	6750	4050
11	1640-60-2600-75-2900	S-10	5500-175-9000	PB-2	9300-34800	4200	14430	7215	4329
12	2000-60-2120	S-11	6500-200-6900	PB-2	9300-34800	4200	16290	8145	4887
13	2000-60-2300-75-3200 2000-60-2300-75-3200-3500	S-12	6500-200-10500	PB-2	9300-34800	4200	16290	8145	4887
14	2375-75-3200-100-3500 2375-75-3200-100-3500-125-3750	S-13	7450-225-11500	PB-2	9300-34800	4600	18460	9230	5538
15	2500-4000	S-14	7500-250-12000	PB-2	9300-34800	4800	18750	9375	5625
16	2200-75-2800-100-4000 2300-100-2800	S-15	8000-275-13500	PB-2	9300-34800	5400	20280	10140	6084
17	2200-75-2800-100-4000	NEW SCALE	8000-275-13500	PB-3	15600-39100	5400	21000	10500	6300

			(ग्रुप ए – प्रवेश)						
18	2630/- FIXED	S-16	9000	PB-3	15600-39100	5400	22140	11070	6642
19	2630-75-2780	S-17	9000-275-9550	PB-3	15600-39100	5400	22140	11070	6642
20	3150-100-3350	S-18	10325-325-10975	PB-3	15600-39100	6600	25810	12905	7743
21	3000-125-3625 3000-100-3500-125-4500 3000-100-3500-125-5000	S-19	10000-325-15200	PB-3	15600-39100	6600	25200	12600	7560
22	3200-100-3700-125-4700	S-20	10650-325-15850	PB-3	15600-39100	6600	26410	13205	7923
23	3700-150-4450 3700-125-4700-150-5000	S-21	12000-375-16500	PB-3	15600-39100	7600	29920	14960	8976
24	3950-125-4700-150-5000	S-22	12750-375-16500	PB-3	15600-39100	7600	31320	15660	9396
25	3700-125-4950-150-5700	S-23	12000-375-18000	PB-3	15600-39100	7600	29920	14960	8976
26	4100-125-4850-150-5300 4500-150-5700	S-24	14300-400-18300	PB-4	37400-67000	8700	46100	23050	13830
27	4800-150-5700	S-25	15100-400-18300	PB-4	37400-67000	8700	48390	24195	14517
28	5100-150-5700 51-150-	S-26	16400-450-20000	PB-4	37400-67000	8900	48590	24295	14577

	150-5700-200-6300								
29	5100-150-6300-200-6700	S-27	16400-450-20900	PB-4	37400-67000	8900	48590	24295	14577
30	4500-150-5700-200-7300	S-28	14300-450-22400	PB-4	37400-67000	10000	47400	23700	14220
31	5900-200-6700 5900-200-7300	S-29	18400-500-22400	PB-4	37400-67000	10000	54700	27350	16410
32	7300-100-7600	S-30	22400-525-24500	HAG + SCALE	67000-79000	NIL	67000	33500	20100
33	7300-200-7500-250-8000	S-31	22400-600-26000	HAG + SCALE	75500-80000	NIL	75500	37750	22650
34	7600/- FIXED 7600-100-8000	S-32	24050-650-26000	HAG + SCALE	75500-80000	NIL	77765	38883	23330
35	8000/- FIXED	S-33	26000 (FIXED)	HAG + SCALE	80000 (FIXED)	NIL	80000	40000	24000
36	9000/- FIXED	S-34	30000 (FIXED)	CAB. SEC.	90000 (FIXED)	NIL		45000	27000